बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांकः– सं०सं०–03 / उ०नि० / योजना(औ०प्रो०नीति)–02 / 2015........................... / पटना, दिनांक.........................

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),

बिहार, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति हेतु सब्सिडी मद में कुल ₹10000.00 लाख (एक सौ करोड़) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति हेतु सब्सिडी मद में कुल ₹10000.00 लाख (एक सौ करोड़) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपलब्ध करायी गयी राशि की 5 प्रतिशत राशि महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की जायेगी।

3. इस योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा जमा की गई वैट की राशि / प्रवेश–कर की राशि पर कार्यरत एवं नयी औद्योगिक ईकाइयों को वाणिज्य–कर विभाग द्वारा वैट प्रतिपूर्त्ति / प्रवेश–कर की प्रतिपूर्त्ति देय है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 / औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति हेतु राज्य की औद्योगिक इकाईयों को पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर वैट / जी0एस0टी0 मद में जमा राशि के अनुसार वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रतिपूर्त्ति की जाती है। इसके लिए आवश्यक निधि उद्योग विभाग द्वारा वाणिज्य–कर विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलनीय होगा, जिसके लिये यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति के लिए उद्योग विभाग द्वारा आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। प्राप्त आवेदन पत्रों का उद्योग विभाग द्वारा समुचित जॉचोपरान्त सूची वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके आधार पर वाणिज्य–कर विभाग द्वारा जाँचोपरान्त वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6. वैट की प्रतिपूर्त्ति / प्रवेश कर / जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना को किया जाएगा जो इसे आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अंचलों को उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के आलोक में उप आवंटित करेंगे।

7. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला के वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य–कर विभाग होंगे जो वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन के आधार पर संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। राशि की निकासी वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक बिक्री–कर / संशोधन–05 / 2006– / 88 / CCI पटना दिनांक 21.09.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 के दिशा–निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप की जाएगी।

9. इस योजना अंतर्गत वैट / प्रवेश कर / जी0एस0टी0 की जमा राशि की प्रतिपूर्त्ति के लिए योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना होंगे।

10. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

क्रमशः पृष्ट–02...

11. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिकासंख्या–03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 187/टि0 पर प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निदेशों का अनुपालन की जायेगी।

13. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–...............................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि–सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–...............................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपिः–सभी जिला के वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य–कर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–...............................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपिः– वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–...............................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2059 / पटना, दिनांक– 11.06.18
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तक0, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी–1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंन्धक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/2018
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।